

# Bihar Administrative Service Association

(Registration No-633/2003)

**Shashank Shekhar Sinha**  
**President**

Mob. No.-9334118192



**Sunil Kumar Tiwary**  
**General Secretary**

Mob. No.- 9431085120

Memo No 03

Date 19.01.2023

**Vice President**

Ajay Kumar  
9835737317

**Subodh Kumar**

7979919465

**Joint Secretary**

Chandrashekhhar Azad

8987044905

**Vikash Kumar**

7717770977

**Treasurer**

Shashi Shekhar

9334557086

सेवा में,

श्री काशी कुमार,

सहायक निबंधन महानिरीक्षक,

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार।

श्री संजय कुमार सिंह,

अवर सचिव,

सहायक निबंधन महानिरीक्षक,

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार।

विषय—“बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन” (निबंधन सं०— 633/2003— 04) नामक संस्था के निबंधन को रद्द किये जाने के संबंध में।

प्रसंग— मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा कारण पृच्छा नोटिस पत्र सं०—BS3- 101321/2003-1134 दिनांक—10.12.22 एवं पत्र सं०—BS3-101321/2003-1154 दिनांक—20.12.22

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत कारण पृच्छा नोटिस पत्र सं०—BS3-101321/2003-1154, दिनांक—20.12.22 अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को स्पीड पोस्ट के Consignment संख्या— EF539056534IN (छायाप्रति अनुलग्नक—1 सलग्न) दिनांक—22.12.2022 के अपराहन में प्राप्त हुआ है जिसके कारण जबाब देने की अंतिम तिथि 21.01.23 है।

2. उपर्युक्त प्रसांगधीन मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा कारण पृच्छा नोटिस के संबंध में कांडिकावार स्थिति स्पष्ट करने से पूर्व बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन (बासा), पटना मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का ध्यान बिहार सोसायटी निबंधन नियमावली

–2018 की धारा-14 की ओर आकृष्ट करना चाहता है। अधिनियम की धारा-14 में उल्लेखित है कि निबंधन महानिरीक्षक किस आधार पर किसी भी सोसायटी का निबंधन रद्द करेगा। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन द्वारा अपने कृत से अधिनियम में अंकित आधारों में से किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है, जो इसके निबंधन को रद्द करने का आधार हो। साथ ही, विभाग द्वारा निर्गत नोटिस किसी विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना एसोसियेशन को दिया गया है। मधुबनी जिला इकाई से प्राप्त प्रस्ताव एवं संघ के एक सदस्य स्व० विवेक कुमार की बिपार्ड में प्रशिक्षण के क्रम में दिनांक-16.11.23 को हुई मृत्यु तथा उसी बैच के कुछ पदाधिकारियों की बिपार्ड, गया में प्रशिक्षण के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से संबंधित मामला संज्ञान में आने पर एसोसियेशन द्वारा सदस्यों के हित में कार्यकारिणी की बैठक करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तथा बिहार सरकार के सर्वोच्च पदाधिकारी मुख्य सचिव, बिहार से मिलकर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। दिनांक- 7 दिसम्बर को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय का ज्ञापन देना, दिनांक-09.12.2022 में बिपार्ड का प्रेस विज्ञप्ति तथा दिनांक-10.12.2022 को बासा के निबंधन को रद्द करने का नोटिस महज संयोग नहीं हो सकता है।


3. बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन द्वारा ज्ञापन सौंपने के 15 दिन पूर्व बिपार्ड में प्रशिक्षणरत मृत साथी श्री विवेक कुमार की मृत्यु की घटना के बाद अपने सदस्यों के कल्याण एवं स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी के समक्ष प्रशिक्षण में सुधार हेतु अनुरोध करना, क्या विधि विरुद्ध है ? क्या बिहार सोसाईटी निबंधन नियमावली-2018 के धारा-14 के परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत ऐसे कृत सोसायटी का निबंधन रद्द करने की श्रेणी में आता है ? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन जैसे प्रतिष्ठित संघ अपने सदस्यों की शिकायत/ सुझाव को लोकतांत्रिक तरीके से सक्षम प्राधिकार के समक्ष उचित माध्यम से रखने पर निबंधन रद्द करने का नोटिस करने का विशेषाधिकार सोसायटी निबंधन नियमावली के किस नियम के तहत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा दिया गया है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

4. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा कारण पृच्छा नोटिस पत्र सं०-BS3-101321/2003-1134 दिनांक-10.12.22 जिसके आलोक में एसोसियेशन द्वारा पत्राचार करते हुए विधान सभा सत्र एवं नगर निकाय निर्वाचन में सदस्यों की व्यस्तता को देखते हुए अपने पत्रांक-67 दिनांक-19.12.22 द्वारा समय की मांग की गई थी, विभाग द्वारा तत्पश्चात BS3-101321/2003-1154 दिनांक- 20.12.22 से पुनः नोटिस करते हुए स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया। दोनों विभागीय पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं जिसमें “**क्यों नहीं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन का निबंधन रद्द कर दिया जाय**” इससे प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा जानबुझकर एवं सोची समझी नीति के तहत ऐसा किया जा रहा है।

5. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से प्राप्त दोनों पत्रों में की गई पृच्छा का कंडिकावार स्पष्टीकरण निम्नवत है।

<p>पत्र सं०— BS3-101321/2003-1134 दिनांक— 10.12.22</p>	<p>बिन्दुवार स्पष्टीकरण</p>
<p>(क). केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक, जो दिनांक—07.12.22 को हुई थी, उस बैठक का नोटिस दिया गया था या नहीं ? यदि बैठक का नोटिस दिया गया था कि उसकी छायाप्रति कृपया उपलब्ध करायें।</p>	<p>केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का नोटिस निर्गत किया गया था, जिसका तामिला भौतिक रूप से एवं softcopy भी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन के केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वाट्सऐप ग्रुप में डाला गया था। नोटिस एवं तामिला की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में अनुलग्नक— 2 के रूप में संलग्न है।</p> <p>ज्ञात हो कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन के उपविधि में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हेतु नोटिस का कोई प्रावधान नहीं है। मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग, बिहार द्वारा इस मामले को जल्दीबाजी में विभागीय संचिकाओं की तरह विशेष निदेश पर निष्पादित करने के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है कि अर्द्ध न्यायिक वादों के लिए स्थापित प्रक्रिया के तहत बिहार सोसायटी निबंधन नियमावली 2018 के नियम—14 के साथ साथ बासा के निबंधित उपविधि/ विनियमावली के अनुसार साधारण आम सभा तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की भूमिका एवं परिभाषा में अंतर, बैठक आहूत करने की प्रक्रिया में अंतर, बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता इत्यादि बिन्दुओं का अवलोकन किए बिना ही बासा के निबंधन को रद्द करने के लिए नोटिस निर्गत कर दिया गया है। यह बिपार्ड द्वारा दिनांक—09.12.2022 को निर्गत प्रेस विज्ञप्ति पत्रांक सं०—विपार्ड/सीपीए(गया)—02/2022 (छायाप्रति संलग्न— अनुलग्नक— 3) के तथ्य से स्वतः स्पष्ट होता है जिसका प्रतिकार बासा द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है।</p>
<p>ख. बाईलॉज के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाने की सूचना कितने दिन पूर्व देने का प्रावधान है, संसूचित करें।</p>	<p>बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन के उपविधि में बैठक बुलाने हेतु कोई समय— सीमा निर्धारित नहीं है। यहां पुनः स्पष्ट करना समीचीन होगा कि एसोसियेशन में संगठनात्मक निर्णय हेतु दो बैठकों, पहला, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (Central Executive</p>

	<p>Committee) एवं दूसरा, साधारण आम सभा (General Body Meeting) बैठकों का अलग-अलग प्रावधान है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन के उपविधि में साधारण आमसभा हेतु नियम 3(a) से (c) तक में उल्लेख किया गया है। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में विस्तृत प्रावधान नियम-7 में वर्णित है।</p> <p>मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को बासा की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक एवं साधारण आम सभा की बैठक में अंतर स्पष्ट नहीं होने से ऐसा भ्रम की स्थिति है।</p>
<p>ग. केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का कोरम क्या है तथा इस कोरम के अनुसार उक्त बैठक में सदस्यों ने भाग लिया था कि नहीं ? यदि भाग लिया था तो उपस्थिति पंजी की हस्ताक्षरित छाया प्रति उपलब्ध करायी जाय।</p>	<p>केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हेतु कोरम की कोई आवश्यकता नहीं है तथा बासा के उपविधि में भी इसका कोई प्रावधान नहीं है। दिनांक-07.12.2022 की बुलाई गई बैठक में सदस्यों ने भाग लिया था, इसकी हस्ताक्षरित छायाप्रति सहज प्रसंग हेतु अनुलग्नक-4 संलग्न है।</p>
<p>घ. केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति से पारित प्रस्ताव जिस पंजी में अंकित किया गया था, उक्त बैठक की कार्यवाही पंजी की हस्ताक्षरित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय।</p>	<p>बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन के उपविधि के नियम-6(e)(v) के तहत बैठक की सभी कार्यवाही पंजी में अंकित किया जाता है। कार्यवाही पंजी की छायाप्रति अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न है।</p>
<p>ड. उपरोक्त प्रस्ताव के कंडिका-4 में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, मधुबनी द्वारा क्या कार्रवाई की गयी थी। उपरोक्त पर संघ ने पैनी नजर रखने का निर्णय लिया है तथा संघ अनुमंडल पदाधिकारी के साथ पूरी तरह से खड़ी है। इसमें यह भी इंगित करने की कृपा की जाय कि आपके "बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन" के बायलॉज के किस प्रावधान के तहत आप किसी भी</p>	<p>बैठक की कार्यवाही में अंकित "पैनी नजर" कोई असंसदीय या असंवैधानिक शब्दावली नहीं है।</p> <p>बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन के <b>Memorandum of Association</b> के <b>Aims and Objectives</b> धारा-4 में स्पष्ट है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन अपने सदस्यों के कल्याण/हितों के लिए क्या-क्या करेगा।</p> <p>संघ यह जानना चाहता है कि "पैनी नजर" के इस शब्द को संघ के निबंधन को रद्द करने के नोटिस निर्गत करने के निर्णय किसने लिया था, इसका आधार क्या है ? क्या इसके लिए "बासा" के खिलाफ कोई अभ्यावेदन</p>



घटना पर पैनी नजर रखने के लिए आप स्वयं को सक्षम समझते हैं ?

प्राप्त हुआ था ? अगर हाँ तो इसकी छायाप्रति उपलब्ध कराई जाय ताकि बिन्दुवार जवाब दिया जा सके।

पत्र सं०-BS3-101321/2003-1154  
दिनांक-20.12.22

कंडिकावार स्पष्टीकरण

कंडिका-1. उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-1151 दिनांक-16.12.2022 के संदर्भ में प्रासंगिक-पत्र के माध्यम से बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में एसोसियेशन के पदधारक विविध सरकारी कार्य में व्यस्त हैं, जिसके कारण केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक-08.01.2023 को आहूत की गई है। इससे स्पष्ट है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन की विधिवत् बैठक दिनांक-07.12.2022 को नहीं हुई थी और केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक के वगैर सरकार को ज्ञापन सौंपा गया।


विभाग द्वारा संघ के निबंधन को रद्द करने की सूचना बिहार राज्य के लिए ऐतिहासिक एवं असाधारण घटना है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि संघ का कृत आचरण ऐसा नहीं था कि इसके निबंधन को रद्द करने का नोटिस प्राप्त हो। प्रश्नगत मामले में व्यक्ति बनाम विधिसम्मत गठित एवं निबंधित संस्था के अस्तित्व का मसला होने के कारण बासा के कार्यकारिणी के सदस्यों सहित अन्य सभी सदस्यों के बीच व्यापक विमर्श की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत अधिकतम सदस्यों की सहभागिता तथा दिनांक-07.12.22 को लिए गये निर्णय की सम्पूष्टि सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 08.01.2023 की बैठक निर्धारित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से दिनांक-07.12.2022 की कार्यवाही को सम्पूष्ट किया गया था।

संघ अपने सदस्यों की बैठक आहूत करने के लिए यदि नोटिस द्वारा कोई तिथि संसूचित करें तो विभाग यह निष्कर्ष निकाल ले कि पूर्व में बैठक ही नहीं हुई है, यह विभागीय निष्कर्ष आश्चर्यजनक है। इस प्रकार के लिखित निष्कर्ष से विभाग से न्याय की अपेक्षा करना बेमानी है। संघ का उक्त विभागीय निष्कर्ष के संबंध में कहना है कि दिनांक-07.12.2022 को निर्धारित बैठक हुई थी तथा विधिवत् राज्य सरकार के मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था।

कंडिका-2. बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन के निबंधित विनियमावली के अनुसार संघ की बैठक आहूत करने हेतु सदस्यों को कम से कम दो सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को सूचना दिया जाना है। साथ ही बैठक में 30 सदस्यों से कम की उपस्थिति नहीं होनी है।

बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन या कोई भी संघ अपनी उपविधि के अनुसार संचालित होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग में उपलब्ध बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन के उपविधि के नियम का अवलोकन किए बिना, इस बिन्दु को स्पष्टीकरण का आधार बनाया गया है जिसे विस्तृत रूप से उपरोक्त पारा की कंडिका ख में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है

<p><b>कंडिका- 3.</b> उक्त तथ्यों के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि संघ अपने विनियमावली (Bylaws) का अनुपालन किये बिना गैर कानूनी ढंग से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है, जो संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 एवं बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन है।</p>	<p><b>बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन</b> द्वारा एक प्रशिक्षणार्थी विवेक कुमार की बिपार्ड में प्रशिक्षण के दौरान मृत्यु की पृष्ठभूमि तथा उसी बैच के प्रशिक्षु अन्य उप समाहर्ताओं की अचानक तबीयत खराब होने को देखते हुए अपने सदस्यों के कल्याणार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार हेतु मुख्य सचिव, बिहार को ज्ञापन दिया जाना नियम विरुद्ध एवं अपराधिक कृत नहीं है तथा संघ की उपविधि तथा निबंधन अधिनियम, 1860 एवं बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 के किसी प्रावधान का उलंघन नहीं है। बासा ने अपने विनियमावली के अनुसार सरकार को ज्ञापन सौंपा है।</p>
<p><b>कंडिका-4.</b> अतः आप बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 के नियम-15 एवं 16 के तहत 30 दिनों के भीतर यह बताएं कि आपकी सोसाईटी का रिजस्ट्रेशन, संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के नियम-23 के अंतर्गत क्यों नहीं रद्द किया जाय।</p>	<p>मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को किसी संघ का निबंधन रद्द करने की धारा-14 में वर्णित आधारों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित हो लेना चाहिए था कि अगर कोई संघ किसी भी अन्य विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी को लिखित रूप से अभ्यावेदन देना चाहता हो तथा संयोग ऐसा हो कि वह पदाधिकारी निबंधन विभाग का भी प्रमुख हो तो उस संघ के निबंधन को रद्द करने का यह आधार नहीं हो सकता है।</p> <p>न्यायिक प्रक्रिया का यह सिद्धांत है कि <b>“Nemo Judex in Causa Sua”, No Body can be Judge of his own case.</b> इस सिद्धांत के आधार पर भी बासा के निबंधन को रद्द करने के लिए निर्गत नोटिस वैध नहीं है।</p> <p>बिहार सोसायटी निबंधन अधिनियम 2018 में किसी भी सोसायटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की शक्ति निबंधन महानिरीक्षक को है जबकि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से दो अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा पत्राचार किया गया है। बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 के नियम 14 में वर्णित आधारों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित हो लेना चाहिए कि संघ द्वारा किसी संस्थान में सुधार हेतु अभ्यावेदन दिया जाता है तथा उस संस्थान के प्रमुख एवं संयोग से मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रमुख, यदि एक ही व्यक्ति है, तथा उन्हें अभ्यावेदन के किसी विषय पर आपति है, तो क्या किसी सोसायटी के निबंधन को रद्द करने के लिए</p>




नोटिस करने का यह आधार विधिसम्मत हो सकता है या नहीं, यह विचारणीय है।

6. बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन एक कल्याणकारी सेवा संगठन है जो अपने सदस्यों के कल्याण के लिए विगत 40 वर्षों से प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य कर रहा है। कोरोना काल में अपने संघ के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सामान्य जनों की सुविधा के लिए भी बासा कार्यरत रहा है। बिपार्ड में प्रशिक्षणरत श्री विवेक कुमार की दिनांक-16.11.2022 को हुई मृत्यु के मामला सहित विगत 3 सालों में कुल 13 मृत सदस्यों तथा बीमार सदस्यों के इलाज के लिए लगभग 25 लाख रुपया बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन द्वारा संघ के सदस्यों से योगदान प्राप्त कर मृत/ बीमार परिवारों के निकटतम आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गई है। बिहार में बासा के अतिरिक्त कुछ बड़े-बड़े सेवा संघ तो मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से निबंधित भी नहीं है फिर भी केवल बासा, जो कि एक निबंधित संस्था है, को विधिवत सरकार को ज्ञापन देने को अपराध मानते हुए दण्ड देने के लिए इसके निबंधन को रद्द करने को नोटिस निर्गत किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है तथा नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है।

7. बिहार सोसायटी निबंधन नियमावली-2018 की धारा-15 में यह प्रावधान है कि "Provided that before cancellation of the registration, the IG shall give adequate opportunity to the society TO BE HEARD on the matter."

8. अतः सविनय अनुरोध है कि बासा द्वारा विभागीय नोटिस के संबंध में समर्पित किये गये स्पष्टीकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इसे स्वीकृत करने की कृपा की जाय। अगर उपरोक्त स्पष्टीकरण से सक्षम प्राधिकार सहमत नहीं है तो बिहार सोसायटी निबंधन नियमावली-2018 की धारा-15 के तहत विधिवत अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन, बिहार को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाय।

अनुलग्नक:- कुल 10 पन्नें।

  
(सुनील कुमार तिवारी)  
महासचिव,

विश्वाभजन,  
  
(शशांक शेखर सिन्हा)  
अध्यक्ष



Sign In

Register

अनुसूचक :- ①



A

ॐ

हिन्दी



10 Q



You are here Home &gt;&gt; Track Consignment

Quick help

\* Indicates a required field.

\* Consignment Number

EF539056534IN

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
Patna Sectt SO	21/12/2022 11:26:29	800001	18.00	Inland Speed Post	Patna GPO	22/12/2022 17:18:59

Event Details For : EF539056534IN

Current Status : Item Delivery Confirmed

Date	Time	Office	Event
22/12/2022	17:18:59	Patna GPO	Item Delivery Confirmed
22/12/2022	09:45:52	Patna GPO	Out for Delivery
22/12/2022	08:37:03	Patna GPO	Item Received
22/12/2022	04:44:56	Patna RMS TMO	Item Dispatched
22/12/2022	04:29:24	Patna RMS TMO	Item Received
22/12/2022	04:22:46	Patna NSH	Item Dispatched
22/12/2022	04:03:54	Patna NSH	Item Bagged
21/12/2022	20:31:18	Patna NSH	Item Received
21/12/2022	20:08:42	Patna RMS TMO	Item Dispatched
21/12/2022	20:04:00	Patna RMS TMO	Item Received
21/12/2022	17:49:39	Patna Sectt SO	Item Dispatched
21/12/2022	16:46:47	Patna Sectt SO	Item Bagged
21/12/2022	11:26:29	Patna Sectt SO	Item Booked

Home

About Us

Forms

Recruitments

# Bihar Administrative Service Association

(Registration No-633/2003)

**Shashank Shekhar Sinha**

**President**

Mob. No.-9334118192



**Sunil Kumar Tiwary**

**General Secretary**

Mob. No.- 9431085120

Memo No ..... 61 .....

Date ..... 06/12/22 .....

**Vice President**

**Ajay Kumar**

9835737317

**Subodh Kumar**

7979919465

**Joint Secretary**

**Chandrashekhar Azad**

8987044905

**Vikash Kumar**

7717770977

**Treasurer**


**Shashi Shekhar**


9334557086

मान्यवर,

कल दिनांक 7 दिसंबर 2022 को अपराहन 2:00 बजे बासा भवन में केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है।

केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में कृपा पूर्ण उपस्थिति दर्ज करें।





6 December 2022

Sunil Kumar Tiwari 42

मान्यवर,

कल दिनांक 7 दिसंबर 2022

को अपराहन 2:00 बजे बासा

भवन में केंद्रीय कार्यकारिणी

समिति की आपातकालीन बैठक

बुलाई गई है।

केंद्रीय कार्यकारिणी

समिति के सभी सदस्यों से

अनुरोध है कि आप केंद्रीय

कार्यकारी समिति की बैठक में

कृपा पूर्ण उपस्थिति दर्ज करें।

महासचिव









अध्यक्ष

बासा

बासा

Vikash Joint Secretary

Sure sir

- (1)  6/12/22
- (2)  6/12
- (3) Kanner  
6/12/22
- (4) Rakesh kr  
6/12/2022
- (5)  06/12/22
- (6)  6/12/2022
- (7) 
- (8)  6/12/22
- (9)  6/12/22
- (10)  6/12/22

6

1. ଓଡ଼ିଆ  
ଅନୁସୂଚୀ

2. ମି ମ → ମିମ  
ଅନୁସୂଚୀ



Tel. No. Office: 0631-2225821

Email-Id: bipardgaya@yahoo.com

## बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान

ब्रह्मयोनी पर्वत, कुशडीहरा, गया- 823001

Bihar Institute of Public Administration & Rural Development

Brahmyoni Parwat, Kushdihra, Gaya- 823001

पत्रांक-बिपार्ड/सीपीए(गया)-02/2022- ६५५

गया, दिनांक-09/12/2022

सेवा में,

संपादक,

News 18, Bihar/Jharkhand एवं सभी मीडिया चैनल एवं समाचार पत्रों को सूचनार्थ।


विषय: प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिपार्ड, गया द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति दिनांक- 09.12.2022 को जारी कि गयी है।

कृपया सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कारवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

  
सहायक निदेशक  
बिपार्ड, गया  
9/12/22

## ॥ प्रेस विज्ञप्ति ॥

हाल ही में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें बिपार्ड में चल रहे बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के प्रशिक्षु पदाधिकारियों को कड़ा प्रशिक्षण देने, अमानवीय तथा जोर जबर्दस्ती से प्रशिक्षण कराये जाने का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने कहा है कि "मिलिट्री टाइप" का प्रशिक्षण इन पदाधिकारियों को दिया जा रहा है।

बिपार्ड इस तरह के आरोपों का खंडन करता है और यह बताना चाहता है कि बिपार्ड में इस वक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का एक ही समय सारिणी के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सुबह पी0टी0 तथा बाद में 6 अध्ययन कक्षाएँ तथा संध्या में योगा की कक्षाएँ करायी जाती है। इसी निर्धारित प्रशिक्षण तालिका के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारी, बिहार नगर सेवा के पदाधिकारी, बिहार निर्वाचन सेवा के पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी, बिहार पंचायती राज सेवा के पदाधिकारीगण प्रशिक्षण ले रहे हैं या ले चुके हैं। इस वक्त गया परिसर में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के अतिरिक्त 110 बिहार पंचायती राज सेवा के पदाधिकारी तथा बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। वे भी इसी प्रकार सुबह पी0टी0 एवं अध्ययन कक्षाएँ लेते हुए समय-सारिणी का पालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 800 राजस्व कर्मचारी एवं 400 निम्न वर्गीय लिपिकों का भी प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें सुबह पी0टी0 एवं संध्या में योगा की कक्षाएँ अनिवार्य हैं।

ऐसी स्थिति में यह समझ पाना मुश्किल है कि जब अन्य सेवा संवर्ग के पदाधिकारी/कर्मि इसी तरह प्रशिक्षण की समय-सारिणी का पालन कर रहे हैं तो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को यह समय-सारिणी अमानवीय और "फौजी टाइप" का क्यों लग रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त बिपार्ड यह भी उल्लेख करना चाहता है कि उप समाहर्ता संवर्ग में एक विशेष प्रकार की अनुशासनहीनता एवं एक Self Entitled Superiority Complex देखा गया है, जिसके अंतर्गत अन्य सेवाओं के पदाधिकारी को वे मनुष्य ही नहीं समझते हैं। उप समाहर्ता संवर्ग ने अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय देते हुए बिहार पंचायती राज सेवा के पदाधिकारियों, जो कि स्वयं बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित हैं के साथ एक ही मेज पर बैठकर भोजन करने से मना कर दिया था। इसी प्रकार का बर्ताव पिछले बैच में भी हुआ। पिछले बैच में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों ने बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के साथ खाने-पीने और मिलने-जुलने से मना कर दिया था। बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के अनुशासनहीनता के दर्जनों प्रकरण हैं, जिसमें एक प्रकरण के अंतर्गत एक पदाधिकारी पर तो विभागीय कार्यवाही चलाते हुए "निंदन" की भी सजा दी गयी है क्योंकि उन्होंने बिपार्ड के एक Faculty के साथ ही आक्रामक व्यवहार किया और अभद्रता दिखलायी थी।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारी अन्य सेवाओं को अपने से हीन एवं दौयम दर्जे का समझते हैं, जिसका ना कोई वैधिक/वैधानिक आधार है और ना ही सभ्य समाज में कोई स्थान।



विहार सरकार

**Bihar Institute of Public Administration and Rural Development**  
WALMI Campus, AIIMS Rd, Phulwari Sharif, Patna, Bihar 801505,  
Website: <http://bipard.bihar.gov.in/>  
e-Mail: [ad-bipard-admin@bihar.gov.in](mailto:ad-bipard-admin@bihar.gov.in)

No:- ATI/6135

Date:- 9/12/22

**OFFICE ORDER**

The Institutional Training of BAS Officers, presently being held at Gaya Campus, is hereby prematurely terminated with immediate effect. The BAS Officers are directed to vacate their hostel rooms and report to their respective Districts latest by 5 PM, 10th December 2022.

The Institutional Training shall be resumed at a date to be notified later.

(K.K.Pathak)  
DG, BIPARD

Sri Mayank Warwade, IAS,  
OSD, Gaya Campus,  
BIPARD.

आज दिनांक 07/10/2022 को आयुध 2.00 बजे (2) वासा भवन में कैंचीप कार्रवाई समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यों ने विभा :-

- |                            |              |     |
|----------------------------|--------------|-----|
| 1. श्री शंभांक शंखर सिंघा  | अध्यक्ष      |     |
| 2. श्री अजय कुमार          | उपाध्यक्ष    | - X |
| 3. श्री सुवीच कुमार        | उपाध्यक्ष    | - X |
| 4. श्री सुनील कुमार निवारी | सहासचिव      | -   |
| 5. श्री चक्रेश्वर आजाद     | संयुक्त सचिव |     |
| 6. श्री विकास कुमार        | संयुक्त सचिव |     |
| 7. श्री शशि शंखर           | वैधान्य      | X   |
| 8. श्री अशोक कुमार         | सदस्य        |     |
| 9. श्री उपेन्द्र कुमार     | सदस्य        | -   |
| 10. श्री राजेश कुमार       | सदस्य        |     |
| 11. आशीष नारायण            |              |     |
| 12. कनक लाला               |              |     |
| 13. प्रभात चंद्र           |              |     |
| 14. मधु मालिनी उडाक        |              |     |
| 15.                        |              |     |

# Bihar Administrative Service Association

(Registration No-633/2003)

**Shashank Shekhar Sinha**  
President  
Mob. No.-9334118192



**Sunil Kumar Tiwary**  
General Secretary  
Mob. No.- 9431085120

Memo No 63 प्रकाशनार्थ / प्रसारनार्थ

Date 07/12/22

**Vice President**  
Ajay Kumar  
9835737317

**Subodh Kumar**  
7979919465

**Joint Secretary**  
Chandrashekhar Azad  
8987044905


**Vikash Kumar**  
7717770977


**Treasurer**  
Shashi Shekhar  
9334557086

आज दिनांक-07.12.2022 को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव एसोशिएशन की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्न निर्णय लिए गए :-

1. उपस्थिति पंजी के अनुसार।
2. विगत सप्ताह बिपार्ड, गया में प्रशिक्षण पा रहे बि0प्र0से0 के पदाधिकारी के कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम को अव्यवहारिक/मनमाने तरीके से संचालित करने के फलस्वरूप गंभीर रूप से बीमार पड़ जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में चिकित्सालय में ईलाज कराते हुए पदाधिकारियों का विडियो भी प्राप्त हुआ है जिसे देखा जा सकता है।
3. अभी कुछ दिन पहले ही एक पदाधिकारी श्री विवेक कुमार की मृत्यु बिपार्ड के प्रशिक्षण के दौरान बिना समुचित स्वास्थ्य जाँच के समाप्त कराये जाने के फलस्वरूप हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि-असैनिक पदाधिकारियों के लिए तैयार किए गए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के बदले कराये जा रहे Physical Training की समीक्षा कर इसमें अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, बिहार को अवगत कराने का निर्णय लिया गया।
4. बासा की जिला इकाई, मधुबनी द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी के निदेश के आलोक में खाद/बीज के दुकान पर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, मधुबनी द्वारा की गई कार्रवाई के उपरान्त उत्पन्न स्थिति से अवगत कराया गया है (छायाप्रति संलग्न)। बैठक में समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस मामले पर पैनी नजर रखी जाय तथा बिहार प्रशासनिक सेवा संघ अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधुबनी के साथ पूरी तरह खड़ा है।
5. इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई करने हेतु बासा द्वारा सरकार से अनुरोध किया जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

  
(सुनील कुमार तिवारी)  
महासचिव

  
(शशंक शेखर सिन्हा)  
अध्यक्ष